क्रमांक .69.

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग – दो

रविवार, दिनांक 01 जनवरी, 2023 (पौष 11, 1944)

शुक्रवार, दिनांक 06 जनवरी, 2023 हेतु निर्धारित अशासकीय विधेयक एवं अशासकीय संकल्पों की सूचना

अशासकीय विधेयक

1. (क्रमांक – 10) छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021)
(प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री सत्यनारायण शर्मा)

अशासकीय संकल्प

1. (क्रमांक – 05) सदन का यह मत है कि "जिला जांजगीर–चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये"।
(प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री नारायण चंदेल)

2. (क्रमांक – 07) सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ में शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिन निराश्रितों को पेंशन प्रदान की जाती है उक्त पेंशन की राशि 350 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति माह तथा 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वालों को 650 रूपये के स्थान पर 1500 रूपये प्रति माह दिनांक 01जनवरी, 2023 से प्रदान किया जावे"।
(प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री शिवरतन शर्मा)

3. (क्रमांक – 02) सदन का यह मत है कि "सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राकृतिक आपदा के समान मुआवजा राशि प्रदान किया जावे"।
(प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री धरम लाल कौशिक)

4. (क्रमांक – 01) सदन का यह मत है कि "पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये"।
(प्रस्तुतकर्ता सदस्य : डॉ0 विनय जायसवाल)

दिनेश शर्मा
सचिव.